FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0211 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/07/2026 16:39 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** सोमवार **Date From (दिनांक से):** 20/07/2026 **Date To (दिनांक तक):** 20/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:38 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/07/2026 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/07/2026 16:39:57 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH-EAST, 05 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** R.K. RAJKIY CHIKITSALAYA, RAJSAMAND

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** MANISH PAMECHA

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SAGARMAL PAMECHA

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1980 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	NAMANA, NATHDWARA, NATHDWARA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	NAMANA, NATHDWARA, NATHDWARA, RAJSAMAND, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR.PANKAJ JAIN		पिता:BHAGCHAND JAIN	1. A 13,TONK ROAD,VIKAS MARG,MANSINGPURA,BAJAJ NAGAR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,300.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,300.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय जी, वाकियात मामला हाजा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 20.07.2026 को समय 10.30 एएम पर मन् हिम्मत चारण अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो राजसमन्द के समक्ष उपस्थित होकर परिवादी मनीष पामेचा पुत्र श्री सागरमल पामेचा, उम्र 46 साल निवासी ग्राम नमाणा, तहसील व पुलिस थाना नाथद्वारा, जिला राजसमन्द ने एक हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र इस आशय का पेश किया कि मेरे लडके श्री पीयुष पामेचा के दाहिनी आंख के पास में पीछले छ महिने से एक सिस्ट (छोटी गांठ) होने से जिसे चैक करवाने के लिए मैं मेरे लडके के साथ दिनांक 11.07.2026 को आर0के0 राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द गया और पर्ची कटाकर डॉक्टर एमके नवल को दिखाया और डॉक्टर एमके नवल की राय के अनुसार जांचे करवाई। जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 13.07.2026 को प्राप्त की। उसके बाद रिपोर्ट चैक करवाने के लिए मैं अपने लडके के साथ आरके राजकीय चिकित्सालय गया जहां पर डॉ0 एमके नवल की सीट पर अन्य कोई डॉक्टर बैठे थे जिन्होंने आंखों के डॉक्टर से राय लेने हेतु कहा। जिसके बाद मैं अपने लडके के साथ आंखों के डॉक्टर के पास गया तो उन्होने सीटी स्केन की राय दी। इसके बाद सीटी स्केन करवाकर दिनांक 15.07.2026 को सीटी स्केन की रिपोर्ट लेकर आंखों के डॉक्टर के पास गया। जहां पर आंखों के डॉक्टर नहीं होने से वापस डॉक्टर एमके नवल के पास गये जिन्होंने सोनोग्राफी की राय दी। जिससे परेशान होकर के मैं अपने लडके के साथ आरके चिकित्सालय में तैनात डॉक्टर पंकज जैन कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) से मिला और अब तक की सारी जांचे व पर्चिया चैक करवाई तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह सारे डॉक्टर आपको ऐसे ही चक्कर कटवा रहे हैं, आप दिनांक 20.07.2026 को अपने लडके के साथ आरके राजकीय चिकित्सालय आ जाना, मैं आपके लडके की दाहिनी आंख के पास सिस्ट (छोटी गांठ) का आरके राजकीय चिकित्सालय में ऑपरेशन कर दूंगा आप मुझे दो हजार रूपये दे देना। डॉक्टर पंकज जैन जो कि एक भ्रष्ट लोक सेवक हैं जो मेरे लडके के आंख के पास सिस्ट (छोटी गांठ) का आरके चिकित्सालय (राजकीय) राजसमन्द में ऑपरेशन करने की एवज में फीस के रूप में मुझसे रिश्वत राशि 2,000 रूपये की मांग कर रहे हैं। मैं उनको रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हुं बल्कि उनको रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हुं। मेरे एवं डॉक्टर पंकज जैन के बीच कोई आपसी लेनदेन बाकि नहीं हैं और ना ही कोई आपसी रंजीश हैं। अत रिपोर्ट करता हुं, कानूनी कार्यवाही करावें। परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं दरियाफ्त से मामला ट्रेप कार्यवाही का पाया जाने एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि में आने से रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि की मांग का सत्यापन बाबत अवगत कराया गया तो परिवादी ने कहा कि डॉक्टर पंकज जैन ने आज मुझे मेरे लडके के साथ आरके राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द बुलाया हैं जो अभी हॉस्पीटल में ही मिलेंगे जिनसे रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में आगे की वार्ता हो सकती हैं। डॉक्टर पंकज जैन बहुत ही होंशियार-चालाक प्रवृति के हैं जो कि रिश्वत राशि की मांग करने के तुरन्त बाद ही मुझसे रिश्वत राशि ग्रहण करेंगे। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अग्रिम कार्यवाही के क्रम में अलमारी से डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर एवं एक नया मेमोरी कार्ड निकालकर, डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में मेमोरी कार्ड लगाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की समझाईश की जाकर श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को सुपुर्द कर परिवादी के साथ आर0के0 राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द पहुंच संदिग्ध डॉक्टर पंकज जैन कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) आर0के0 राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द के पास भिजवाकर परिवादी एवं संदिग्ध के मध्य अग्रिम रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता कराने हेतु उसकी निजी मोटरसाईकिल से तथा परिवादी श्री मनीष पामेचा को उसकी स्वयं की स्कूटी से समय 11.25 एएम पर आर0के0 राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द की तरफ आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। जो समय करीबन 12.05 पीएम पर ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पर उपस्थित आये तथा श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 262 ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मेमोरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर हालात निवेदन कर बताया कि श्रीमान के निर्देशानुसार मैं कानि0 एवं परिवादी अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकिल-स्कूटी से एसीबी चौकी राजसमन्द से रवाना हो समय करीब 11.35 एएम पर आर0के0 राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द के बाहर पहुंचे जंहा पर परिवादी एवं मुझ कानि0 ने अपनी-अपनी निजी मोटरसाईकिल-स्कूटी को रोड किनारे साईड में खडा किया। तत्पश्चात परिवादी ने मुझ कानि0 को बताया कि मेरा लडका पीयुष पामेचा जिसके दाहिनी आंख के पास सिस्ट (छोटी गांठ) का ऑपरेशन डॉ पंकज जैन से करवाना हैं इसलिए वो अभी

आर0के0 हॉस्पीटल के अन्दर गया हुआ हैं जो आउटडोर की पर्ची कटवाकर मुझे कॉल करेगा जिसके बाद ही मैं आर0के0 हॉस्पीटल के अन्दर जाउंगा। जिस पर मुझ कानि0 द्वारा परिवादी को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुन समझाईश करने के पश्चात ही परिवादी ने मुझ कानि0 को बताया कि अभी-अभी मेरे पास मेरे लडके का फोन आया हैं और उसने आउटडोर पर्ची कटवा ली हैं, अब मैं आर0के0 हॉस्पीटल के अन्दर जाकर डॉक्टर पंकज जैन से रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में आगे की वार्ता करूंगा। जिस पर मुझ कानि0 द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर संदिग्ध डॉक्टर पंकज जैन से रिश्वत राशि की मांग के सम्बन्ध में अग्रिम वार्ता करने हेतु परिवादी श्री मनीष पामेचा को डीवीआर सुपुर्द कर परिवादी को मुझ कानि0 की निजी मोटरसाईकिल पर बैठाकर रवाना हो आर0के0 राजकीय चिकित्सालय परिसर में पहुंचे। जहां पर परिवादी आर0के0 चिकित्यालय के मुख्य भवन के अन्दर गया और मैं कानि0 आर0के0 चिकित्सालय परिसर में ही परिवादी के आने के इन्तजार में मुकिम हुआ। करीब 15 मिनट बाद परिवादी मेरे पास आया जिस पर मुझ कानि0 द्वारा परिवादी को मेरी निजी मोटरसाईकिल पर बैठाकर रवाना हो पूर्वानुसार आर0के0 चिकित्सालय के बाहर पहुंचे जहां पर परिवादी ने मुझ कानि0 को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद करके अपने पास सुरक्षित रखा। तत्पश्चात मैं कानि0 अपनी निजी मोटरसाईकिल से तथा परिवादी अपनी स्वयं की निजी स्कूटी से रवाना हो हाजिर ओपी आये हैं। तत्पश्चात उपस्थित परिवादी श्री मनीष पामेचा ने श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 के कथनों की ताईद करते हुए मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि मैं डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर के साथ आर0के0 राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द के मुख्य भवन के अन्दर गया जहां पर मैं मेरे लडके पीयुष पामेचा से मिला। मैं, मेरे लडके पीयुष पामेचा के साथ जनरल सर्जरी कमरा नम्बर 02 के अन्दर गया और मेरे लडके की आउटडोर पर्ची दिखाते हुए मेरे लडके के सिस्ट (छोटी गांठ) के माईनर ऑपरेशन के सम्बन्ध में मैने डॉक्टर पंकज जैन से वार्ता की तो उन्होंने सरकारी हॉस्पीटल में ऑपरेशन करने की एवज में रिश्वत राशि 2,000 रूपये की मांग की। जिस पर मेरे द्वारा डॉक्टर पंकज जैन को रूपये कम करने के लिए कहा तो उन्होंने रिश्वत राशि 1,800 रूपये देने हेतु कहा। जिस पर मैने रिश्वत राशि 500 रूपये मांग सत्यापन वार्ता के दौरान ही डॉक्टर पंकज जैन को दे दिये तथा बाकि के रूपये लाकर देने की कहकर मैं आर0के0 हॉस्पीटल से बाहर आ गया। मेरे द्वारा उक्त समस्त वार्ता को डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 20.07.2026 को रिकॉर्ड शुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता को चलाकर सुना गया तो परिवादी श्री मनीष पामेचा के द्वारा बताये गए कथनो की ताईद होकर रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता होना पाया गया तथा संदिग्ध डॉक्टर पंकज जैन द्वारा परिवादी के लडके के सीस्ट (छोटी गांठ) का सरकारी हॉस्पीटल में माईनर ऑपरेशन करने की एवज में रिश्वत राशि 1,800 रूपये की मांग करने की पुष्टि हुई। तत्पश्चात मन् एएसपी द्वारा परिवादी को आरोपी डॉक्टर पंकज जैन की मांग अनुसार रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में परिवादी से पूछा तो परिवादी ने बताया कि डॉक्टर पंकज जैन ने मेरे लडके का सरकारी हॉस्पीटल में माईनर ऑपरेशन करने की एवज में मुझसे रिश्वत राशि 1,800 रूपये की मांग की हैं जिसमें से मैंने मांग सत्यापन वार्ता के दौरान रिश्वत राशि 500 रूपये डॉक्टर पंकज जैन को दे दी हैं और शेष रिश्वत राशि 1,300 रूपये डॉक्टर पंकज जैन को और देने हैं जिसकी व्यवस्था मेरे पास हैं। मैने मांग सत्यापन वार्ता के दौरान डॉक्टर पंकज जैन को जो रिश्वत राशि 500 रूपये दी थी उक्त 500 रूपये के नोट की फोटों मैने मेरे मोबाईल से खीचीं थी जो मेरे मोबाईल में सेव हैं। जिस पर परिवादी के उक्त मोबाईल फोन को कानि0 जितेन्द्र कुमार से ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट करवाकर उक्त 500 रूपये के नोट की फोटों का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल कार्यवाही किया गया। तत्पश्चात श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 के साथ तलब शुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री सूर्यपाल लबानिया सहायक पर्यावरण अभियंता, क्षेत्रिय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल राजसमन्द एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार खटीक कनिष्ठ लेखाकार, क्षेत्रिय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल राजसमन्द उपस्थित कार्यालय आये उक्त दोनों गवाहान को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक द्वारा की जा रही अग्रिम गोपनीय कार्यवाहीं के सम्बन्ध में समस्त हालात से अवगत कराया जाकर मन् एएसपी के कार्यालय कक्ष में पूर्व में उपस्थितशुदा परिवादी श्री मनीष पामेचा का दोनों गवाहान श्री सूर्यपाल लबानिया एवं श्री धर्मेन्द्र कुमार खटीक से आपस में परिचय करवाया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 20.07.2026 को परिवादी श्री मनीष पामेचा द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना पत्र को दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाया गया तथा पढ़ाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जा रही अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही गई जिस पर हर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी से आवश्यक पूछताछ कर गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में बतोर गवाहान उपस्थित रहने हेतु अपनी-अपनी सहमति दी गई। तत्पश्चात् परिवादी द्वारा प्रस्तुत हस्तलिखित प्रार्थना-पत्र पर हर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को चालू कर दिनांक 20.07.2026 को परिवादी श्री मनीष पामेचा एवं आरोपी डॉक्टर पंकज जैन कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) आर0के0 राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द के मध्य हुई रिकॉर्डशुदा रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश को चलाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान को सुनाई गई तो हर दोनो स्वतंत्र गवाहान के द्वारा भी रिश्वत राशि की मांग सत्यापन की पुष्टि की गई। ततपश्चात दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन् हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री मनीष पामेचा को रिश्वत

में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री मनीष पामेचा ने अपने पास से रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के 02 नोट राशि 1000 रूपये एवं 100-100 रूपये के 03 नोट राशि 300 रूपये कुल राशि 1300 रूपये प्रस्तुत किये। जिनके नोटों के नम्बर इस प्रकार हैं, 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5ME 097870, 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5TT 334340, 3. 100 रूपये का एक नोट नम्बर 0KR 107520, 4. 100 रूपये का एक नोट नम्बर 8AS 286621, 5. 100 रूपये का एक नोट नम्बर 9HU 646319 परिवादी द्वारा प्रस्तुत भारतीय चलन मुद्रा के उपरोक्त समस्त नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में रखी हुई अलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाई जाकर कार्यालय कक्ष की टेबल पर अखबार बिछा कर अखबार पर परिवादी श्री मनीष पामेचा द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त भारतीय चलन मुद्रा के समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने हेतु निर्देशित करने पर श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 द्वारा उक्त समस्त नोटो के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया गया तथा परिवादी श्री मनीष पामेचा की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री धर्मेन्द्र कुमार खटीक से लिवाई जाकर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे समस्त नोटों को परिवादी श्री मनीष पामेचा की पहनी हुई शर्ट की उपर की बायी जेब में कोई वस्तु नहीं छोडते हुए श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 से रखवाये गये। तत्पश्चात् श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117 से एक साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवा कर घोल तैयार करवाया जाकर दोनो ही स्वतंत्र गवाहान एवं परिवादी श्री मनीष पामेचा को दिखाया गया तो उन्होने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। उक्त घोल में श्रीमती तारा महिला कानि0 नम्बर 259 के हाथ की उंगलियों को डूबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। इस प्रकार परिवादी तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराया गया। परिवादी को यह भी हिदायत दी कि रिश्वती राशि देने के बाद अपने सिर पर दोनों हाथ फेरकर कर निर्धारित ईशारा करे तथा यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया तथा परिवादी, स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ते का आपस में परिचय करवाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियॉ, ढक्कन, चम्मच इत्यादि को साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाये गये एवं नये प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों को भी ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया तथा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। परिवादी श्री मनीष पामेचा को डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर के संचालन की विधि की पुन समझाईस कर डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मय उसमें लगे हुए मूल मेमोरी कार्ड के परिवादी को सिपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह रिश्वती राशि के लेन-देन के वक्त आरोपी से होने वाली वार्तालाप को उक्त डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें। फर्द पेशकशी नोट व सुपूर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर एवं सिपूर्दगी डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर जुदागाना तैयार की जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात समय करीबन 01.20 पी0एम0 पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नम्बर 262 को उसकी निजी मोटरसाईकिल से, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 को उसकी निजी मोटरसाईकिल से एवं परिवादी श्री मनीष पामेचा को उसकी निजी स्कूटी से आर0के0 राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द के पास पहुंचने की आवश्यक हिदायत कर रवाना करते हुए उनके पीछे-पीछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय ब्यूरो जाब्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सूर्यपाल व श्री धर्मेन्द कुमार मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय सरकारी वाहन बोलेरो RJ 14 UJ 1746 मय चालक श्री रिडमल सिंह नम्बर 817 के मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के अपने-अपने सरकारी वाहन-मोटर साईकिल-स्कूटी से अग्रिम सम्भावित ट्रेप कार्यवाही हेतु एसीबी चौकी राजसमन्द से रवानाशुदा समय करीब 01.32 पीएम पर आर0के0 राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द के पास पहुंचे जहां पर परिवादी के पास रखे हुए डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी से चालू करवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के पूर्वानुसार ही अपने-अपने सरकारी वाहन-मोटरसाईकिल से परिवादी की स्कूटी के पीछे-पीछे रवाना हो आर0के0 राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द परिसर में पहुंचे जहां पर परिवादी श्री मनीष पामेचा तथा मन् एएसपी एवं ब्यूरो जाब्ता द्वारा अपने-अपने सरकारी वाहन-मोटरसाईकिल-स्कूटी को साईड में खडा किया तथा परिवादी आर0के0 हॉस्पीटल के मुख्य भवन के अन्दर गया तथा मन् एएसपी द्वारा ब्यूरो जाब्ता एवं स्वतंत्र गवाहान को आर0के0 राजकीय चिकित्सालय के मुख्य भवन के पास ही अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए मन् एएसपी के निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही करने की आवश्यक हिदायत देकर मन् एएसपी मय ब्यूरो जाब्ता श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 व श्री भंवरदान कानि0 के साथ आर0के0 राजकीय चिकित्सालय के मुख्य भवन के अन्दर प्रवेश कर वहां पर स्थित जनरल सर्जरी कमरा नम्बर 02 के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए परिवादी के निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुआ। तत्पश्चात समय करीबन 01.38 पीएम पर परिवादी श्री मनीष पामेचा द्वारा आर.के. चिकित्सालय राजसमन्द के मुख्य भवन के जनरल सर्जरी 2 कमरे के बाहर आकर रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को अपने सिर पर दोनों हाथ फैरकर पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानि. भंवरदान को आर.के. चिकित्सालय परिसर में खडे शेष ब्यूरो जाप्ता एवं दोनों

स्वतंत्र गवाहान को बुलवाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुर्यपाल लबानिया व श्री धर्मेन्द्र कुमार खटीक एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यगण श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117, श्रीमती सीता हैड कानि0 नम्बर 233, श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262, श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 के तेज-तेज कदमों से चलकर जनरल सर्जरी 2 कमरे के बाहर खड़े परिवादी के पास आये, परिवादी ने डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जो चालू था जिसे मैने बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी के साथ मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के उक्त कमरे के अन्दर सर्जरी आउटडोर 2A जहां पर कमरे के बाहर डॉ0 पंकज जैन की नेम प्लेट लगी हुयी है। उक्त कमरे के अन्दर प्रवेश किया जहां पर एक व्यक्ति जिसने ब्लु रंग की लाईनिंग वाली शर्ट पहनी हुई थी, जो कि कुर्सी पर बैठा हुआ था, जिसकी ओर परिवादी श्री मनीष पामेचा ने ईशारा कर बताया कि यही डॉक्टर साहब पंकज जैन है। जिनको मैंने अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की बायी जेब से रिश्वत राशि 1300 रूपये निकाल कर दी। जिस पर डॉक्टर साहब पंकज जैन ने उक्त रिश्वत राशि अपने हाथों में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई जिंस पेन्ट की पिछे की दाहिनी जेब में रखी है। जिस पर उक्त व्यक्ति का एक हाथ श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 117 को एवं एक हाथ कानि0 श्री जितेन्द्र कुमार कानि0 नं0 262 को कलाई से उपर पकडवाया गया। इस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना एवं हमराहियान का परिचय देते हुए उक्त व्यक्ति से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम पंकज जैन कनिष्ठ विशेषज्ञ (जनरल सर्जरी) आर.के. राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द होना बताया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी डॉ0 पंकज जैन को परिवादी से रिश्वत राशि किस कारण से ग्रहण की गई, के बारे में पुछा तो आरोपी ने अपनी नजरे झुका ली और चुप रहा कोई जवाब नहीं दिया। जिस पर परिवादी श्री मनीष पामेचा ने स्वत ही बताया कि डॉक्टर साहब ने रिश्वत राशि अपनी पहनी हुई जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में रखी है। तत्पश्चात अग्रिम कार्यवाही के क्रम में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डिजीटल वॉईस रिकॉर्डर को परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं आरोपी डॉ0 पंकज जैन के समक्ष चालू कर दिनांक 20.07.2026 को हुई रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि लेनदेन वार्ता होना पाया गया तथा आरोपी डॉ0 पंकज जैन द्वारा उक्त वार्ता में एक आवाज अपनी स्वयं की होने व परिवादी श्री मनीष पामेचा से वार्ता होना स्वीकार किया। चूंकि आरोपी डॉ0 पंकज जैन द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर गिनकर अपनी पहनी हुयी हल्का नीले रंग की जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रखी है। इस हेतु आरोपी के दोनों हाथों का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117 से बोलेरो सरकारी वाहन RJ 14 UJ 1746 में रखे हुए ट्रेप बॉक्स को मंगवा कर ट्रेप बॉक्स में से दो साफ प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलासों में अलग-अलग साफ पानी भरकर उक्त दोनों गिलासों में अलग-अलग एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया। उक्त घोल को उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन घोल होना बताया जिस पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के दाहिने हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो दाहिने हाथ के धौवण का मिश्रण हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का घोल होना स्वीकार किया जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क RH-1 व RH-2 अंकित कर उक्त सिलचिटशुदा शिशियां कब्जे ब्यूरो ली गई। इसी तरह दूसरे प्लास्टिक के पारदर्शी डिस्पोजल गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी के बाये हाथ की अंगुलियों एवं अंगूठे को धुलवाया गया तो बायें हाथ के धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरिन को दिखाया गया तो हल्का गुलाबी रंग का होना स्वीकार किया। जिसे दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर, चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क LH-1 व LH-2 अंकित कर उक्त सिलचिट शुदा शिशिया कब्जे ब्यूरो ली गई। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने आरोपी डॉ0 पंकज जैन को परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने बाबत पुन पुछा गया तो कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। ततपश्चात मन् अति. पुलिस अधीक्षक को परिवादी ने स्वत ही बताया कि मेरा पुत्र पीयुष पामेचा की दाहिनी ऑख के पास एक छोटी सी गांठ (सिस्ट) थी इसलिए मैं दिनांक 15.07.2026 को आर. के. राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द में डॉक्टर पंकज जैन साहब से मैं मेरे बच्चे पीयुष के साथ आकर मिला था और आर. के. राजकीय चिकित्सालय की मेरे पुत्र पीयुष की पूर्व की पर्चिया एवं मेडिकल रिपोर्ट दिखायी तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ऐसे ही काम नहीं होता है आप कितने ही चक्कर काट लो हॉस्पीटल के, सोमवार को मेरे से आकर मिलना ओर मुझे 2000 रूपये दे देना मैं यह सिस्ट ऑपरेट कर दूंगा। और दिनांक 20.07.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के दौरान डॉक्टर साहब ने मेरे पुत्र पीयुष पामेचा के आंख के पास छोटी सी सिस्ट का ऑपरेशन करने के लिए मेरे से 2000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की। मेरे द्वारा रिश्वत राशि कम करने का निवेदन करने पर 1800 रूपये लेने पर सहमत हुए तथा 500 रूपये मेरे से रिश्वत राशि स्वरूप ग्रहण किये। जिसकी मैंने मेरे मोबाईल से फोटो भी ली थी, जो मांग सत्यापन वार्ता के पश्चात श्रीमान को पेश की थी। तथा श्री मनीष पामेचा ने अपने पुत्र पीयुष पामेचा के नाम की दिनांक 20.07.26 की आर.के. राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द की मूल आउटडोर पर्ची पेश की। जिसे बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किया गया। इसके पश्चात डॉ0 पकज जैन ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को स्वत ही बताया कि मैंने श्री मनीष पामेचा के पुत्र पीयुष के सिबेसियस सिस्ट ऑपरेट (रिमूव) करने के लिए राय दी तथा माईनर ऑपरेशन थियेटर में सर्जरी कर सिस्ट हटा दी। मैंने रिश्वत राशि के लिए कोई दबाव नहीं बनाया था। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डॉ0 पंकज जैन को

पीयुष पामेचा के ऑपरेशन करने का इंद्राजात करने बाबत पुछा गया तो डॉ0 पंकज जैन ने बताया कि मैंने माईनर ऑपरेशन थियेटर रजिस्टर में पीयुष पामेचा के ऑपरेट करने का इंद्राज करवाया है। और कहा कि मुझे माफ कर दो, आईन्दा ऐसी गलती नहीं करूंगा। ततपश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने चिकित्सालय में उपस्थित श्री रमेश कुमार रजक प्रमुख चिकित्साधिकारी को तलब कर, श्री पीयुष पुत्र श्री मनीष पामेचा से सम्बन्धित दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिया चाही गयी, जिस पर श्री रमेश कुमार रजक प्रमुख चिकित्साधिकारी ने माईनर ऑपरेशन थियेटर रजिस्टर में किए गए श्री पीयुष पुत्र श्री मनीष पामेचा के इंद्राजात की प्रमाणित प्रति पेश की। जिसका अवलोकन किया गया तो MAIN OPERATION REGISTER के S.No.16 पर पीयुष पुत्र मनीष का नाम का इंद्राजात होना पाया गया। उक्त प्रमाणित प्रति पर स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा कर शामिल कार्यवाही की गयी। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डॉ0 पंकज जैन की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री सुर्यपाल लबानिया से लिवाई गई तो डॉ0 पंकज जैन की हल्के नीले रंग की जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब से भारतीय चलन मुद्रा के 500, 100 रूपये के कुछ नोट मिले। उक्त नोटो के नम्बरो का फर्द सुपूर्दगी नोट से मिलान करने के लिए स्वतंत्र गवाह श्री सुर्यपाल लबानिया को कहा तो 500 रूपये के दो नोट तथा 100 रूपये के 3 नोट कुल 1300 रूपये होना बताया। गवाहान ने उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व में मुर्तिब फर्द पेशकशी नोट से किया गया तो तलाशी में मिले नोटो के नम्बरो का मिलान हूबहू होना पाया गया। रिश्वत राशि नोटों के अलावा डॉ0 पंकज जैन की हल्के नीले रंग की जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब से भारतीय चलन मुद्रा के 500 रूपये का एक नोट तथा 200 रूपये के 3 नोट तथा 20 रूपये के 3 नोट मिले। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने डॉ0 पंकज जैन से दिनांक 20.07.26 को परिवादी श्री मनीष पामेचा से मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 500 रूपये प्राप्त किए गए के सम्बन्ध में पुछा गया तो डॉ0 पंकज जैन ने उक्त 500 रूपये ही, श्री मनीष पामेचा से ग्रहण करना बताया जिस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी के फोन में डॉ0 पंकज जैन को 500 रूपये देने से पूर्व खीची गई फोटो का डॉ0 पंकज जैन से बरामद 500 रूपये के नोट का मिलान किया गया तो नोट के नम्बर 8BB 264959 होकर परिवादी द्वारा खीची गयी फोटों से हुबहु मिलना पाया गया। जिस पर उक्त 500 रूपये कब्जे एसीबी लिए गए। तथा 200 रूपये के 3 नोट तथा 20 रूपये के 3 नोट कुल 660 रूपये के लिए डॉ0 पंकज जैन से पुछा गया तो हाथ खर्ची के होना बताया। इसके पश्चात आरोपी की पहनी हुई जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब जहां से रिश्वत राशि 1300 रूपये बरामद की गयी, उक्त जेब का धोवण लिया जाना आवश्यक होने से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डॉ0 पंकज जैन से एक लॉवर उपलब्ध कराने बाबत कहा गया तो डॉ0 पंकज जैन ने बताया कि मेरा ग्राउण्ड फ्लोर का किराये का मकान नं. पी-14 गोविन्द नगर हाउसिंग बोर्ड राजसमन्द में ही है मेरे स्टाफ के कर्मचारी को मकान पर भेजकर लॉवर, टीशर्ट मंगवा लेता हूं तथा किराये के मकान ग्राउण्ड फ्लोर की चाबी मेरी ब्रेजा मारूती सुजुकी वाहन संख्या RJ 45 CG 2887 जो कि चिकित्सालय की पार्किग में खडी है जिसके डेशबोर्ड में चाबी रखी हुयी है। डॉ0 पंकज जैन ने टेबल पर रखी ब्रेजा मारूती सुजुकी कार की चाबी पेश की। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान के डॉ0 पंकज जैन के बताये अनुसार उक्त चिकित्सालय पार्किग में खडी गाडी को डॉ0 पंकज जैन द्वारा दी गई चाबी से खोल कर गाड़ी की तलाशी ली गयी तो गाड़ी के डेशबोर्ड में से एक चाबी मिली इसके अलावा कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली और ना ही कब्जे ब्यूरो ली गयी। उक्त गाडी का किलो मीटर चैक किया गया तो 54,697 किलो मीटर चली हुई होना पाया गया। डॉ0 पंकज जैन की गाड़ी से चाबी निकाल कर डॉ0 पंकज जैन के कहे अनुसार नर्सिग कर्मचारी को दी जाकर श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117 के साथ किराये के मकान गोविन्द नगर हाउसिंग बोर्ड के लिए भिजवाया गया जो थोडी देर बाद डॉ0 पंकज जैन का लॉवर, टी-शर्ट लेकर उपस्थित आये। उक्त चाबी को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखी। आरोपी की पहनी हुई जिन्स पेन्ट व शर्ट को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष ससम्मान उतरवाकर आरोपी को लॉवर एवं टी शर्ट पहनाया जाकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी की पहनी हुयी हल्के नीले रंग की जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब जिसमें से रिश्वत राशि बरामद हुई उक्त जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब की धुलवाई हेतु ब्यूरो कार्यालय के श्री गोवन्द नारायण हैड कानि0 से ट्रेप बॉक्स में से एक साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास निकलवाकर उक्त पारदर्शी डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरकर मंगवाया तथा उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट डालकर घोल तैयार करवाया। उक्त घोल को दोनों गवाहान को दिखाया गया तो रंगहीन होना बताया उक्त रंगहीन घोल में जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब को उल्टा कर सोडियम कार्बोनेट के घोल में श्री गोविन्द नारायण हैड कानि. नम्बर 117 से धुलवाई गई तो धौवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे हाजरीन को दिखाया तो उक्त धौवण का रंग हल्का गुलाबी होना बताया उसके पश्चात् उक्त धौवण को दो अलग-अलग साफ कांच की शिशियों में भरकर शिशियों को सिल-चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क P-1 व P-2 अंकित कर शिशियां कब्जे पुलिस ली गई। उक्त हल्के नीले रंग की जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब को सुखाकर अन्दर की तरफ संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर उक्त जिन्स पेंट को सफेद कपड़े की थैली में रख कर सिलचिट कर मार्क P अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो ली गई। उक्त बरामद शुदा रिश्वती राशि के नोटो को सफेद कागज की चिट लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये एवं दोराने मांग सत्यापन वार्ता आरोपी डॉ. पंकज जैन द्वारा परिवादी से ग्रहण किए गए 500 रूपये को भी अलग सफेद कागज की चिट

लगाकर नियमानुसार सीलचिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबुत कब्जे ब्यूरो लिये गये। डॉ0 पंकज जैन की टेबल पर एक मोबाईल फोन रखा हुआ था जिसके बारे में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने पुछा तो डॉ0 पंकज जैन ने उक्त मोबाईल स्वयं का ऑपो कम्पन्नी F 27 Prot 5G होना बताया। डॉ0 पंकज जैन की जामा तलाशी में मिले 660 रूपये एवं ऑपो कम्पन्नी का मोबाईल फोन एवं मारूती सुजूकी कार की चाबी डॉ0 पंकज जैन के कहे अनुसार आर.के. चिकित्सालय में उपस्थित उनके मित्र श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान पुत्र श्री हिम्मत सिंह निवासी गुंजोल नाथद्वारा जिला राजसमन्द को सिपूर्द किया गया। बाद फारिक राजकीय आर.के. चिकित्सालय राजसमन्द में काफी भीड़भाड़ होने से परिवादी को उसकी निजी स्कुटी से तथा श्री जितेन्द्र कानि0 नं0 262 एवं श्री भंवरदान कानि0 नं0 414 को उनकी अलग-अलग निजी मोटर साईकिल से एसीबी कार्यालय के लिए रवाना कर पीछे-पीछे सरकारी वाहन बोलेरो में मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय आरोपी डॉ0 पंकज जैन, दोनों स्वतंत्र गवाहान मय ब्यूरो जाप्ता श्री गोविन्द नारायण हैड कानि0 नं0 117 एवं श्रीमती सीता हैड कानि. नं. 233 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, आवश्यक संसाधन मय अब तक की कार्यवाही में जब्तशुदा समस्त मालखाना आर्टिकल्स के रवाना हो समय 3.10 पीएम पर एसीबी कार्यालय राजसमन्द पहुंच अग्रिम कार्यवाही करते हुए फर्द बरामदगी मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् परिवादी श्री मनीष पामेचा एवं आरोपी डॉ0 पंकज जैन के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट पृथक-पृथक से मूर्तिब की जाकर फर्द ट्रान्सस्क्रिप्टों पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात् घटनास्थल (आर0के0 हॉस्पीटल राजसमन्द) पहुंचकर परिवादी, आरोपी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्षा मौका घटनास्थल मौके पर मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर कराये गये। तत्पश्चात् आरोपी डॉ. पंकज जैन के हाउसिंग बोर्ड राजसमन्द स्थित किराये के मकान पर पहुंचकर आरोपी एवं दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष आरोपी के किराये के मकान की खाना तलाशी ली जाकर फर्द खाना तलाशी मौके पर मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् ब्यूरो कार्यालय राजसमन्द पहुंचकर आरोपी डॉ0 पंकज जैन कनिष्ठ विशेषज्ञ (जनरल सर्जरी) आर.के. राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द के विरूद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाया जाने से आरोपी डॉ0 पंकज जैन को दिनांक 20.07.26 को समय 08.45 पी.एम. पर नियमानुसार गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी मीमो, गिरफ्तारी की सूचना व गिरफ्तारी के आधार की सूचना पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दौराने ट्रेप कार्यवाही रिश्वत राशि बरामदगी एवं खाना तलाशी की वीडियोग्राफी मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार श्री भंवरदान कानि0 नम्बर 414 द्वारा सरकारी मोबाईल फोन (सेमसंग कम्पनी) के माध्यम से ब्यूरो कार्यालय के मूल मेमे ारी कार्ड में अलग-अलग रिकॉर्ड की गई। रिश्वत राशि बरामदगी की कार्यवाही की वीडियोग्राफी के मूल मेमोरी कार्ड को जरिए अडेप्टर-कनेक्टर ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर एक मूल पेनड्राईव एवं दो डब पेनड्राईव तैयार कर मूल पेनड्राईव व मूल मेमोरी कार्ड की हेश वैल्यू निकलवाई गई तथा उक्त मूल पेनड्राईव एवं मूल मेमोरी कार्ड को वजह सबूत अलग-अलग जरिए फर्द जप्त किये जाकर अलग-अलग सफेद कपडे की थेली में रखकर सील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् खाना तलाशी की कार्यवाही की वीडियोग्राफी के मूल मेमोरी कार्ड को जरिए अडेप्टर-कनेक्टर ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर एक मूल पेनड्राईव एवं दो डब पेनड्राईव तैयार कर मूल पेनड्राईव व मूल मेमोरी कार्ड की हेश वैल्यू निकलवाई गई तथा उक्त मूल पेनड्राईव एवं मूल मेमोरी कार्ड को वजह सबूत अलग-अलग जरिए फर्द जप्त किये जाकर अलग-अलग सफेद कपडे की थेली में रखकर सील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। दिनांक 20.07.2026 को परिवादी श्री मनीष पामेचा एवं आरोपी डॉ0 पंकज जैन के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता एवं रिश्वत राशि लेनदेन रूबरू वार्ता के मूल मेमोरी कार्ड को डीवीआर सहित ब्यूरो कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर एक मूल पेनड्राईव एवं दो डब पेनड्राईव तैयार कर मूल पेनड्राईव व मूल मेमोरी कार्ड की हेश वैल्यू निकलवाई गई तथा उक्त मूल पेनड्राईव एवं मूल मेमोरी कार्ड को वजह सबूत अलग-अलग जरिये फर्द जप्त किया जाकर अलग-अलग सफेद कपडे की थेली में रखकर सील्डचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् दिनांक 21.07.2026 को बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के नमूना सील पृथक से मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् बाद फारिक परिवादी श्री मनीष पामेचा को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी डॉक्टर पंकज जैन को अपनी आवाज का नमूना देने के लिये तहरीर दी गई। जिस पर आरोपी द्वारा उक्त मूल तहरीर पर ही अपनी स्वयं की हस्तलिपि में अंकित किया कि महोदय, मैं डॉ0 पंकज जैन मेरी आवाज का नमूना सैम्पल नहीं देना चाहता हुं। उक्त मूल ही तेहरीर पर दोनों स्वतंत्र गवाहान के हस्ताक्षर करवा शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् बाद सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही के दोनों स्वतंत्र गवाहान को ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया। तत्पश्चात् आरोपी का आर.के. राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द से स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामिल कार्यवाही की गई। तत्पश्चात् आरोपी डॉक्टर पंकज जैन का 15 योम जेसी रिमाण्ड मुर्तिब कर माननीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम राजसमन्द के समक्ष पेश कर माननीय न्यायालय से जेसी वारण्ट प्राप्त कर आरोपी डॉक्टर पंकज जैन को न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागृह राजसमन्द में जमा करा रसीद प्राप्त की गई। इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से पाया गया कि आरोपी डॉ0 पंकज जैन कनिष्ठ विशेषज्ञ (जनरल सर्जरी) आर.के. राजकीय

चिकित्सालय राजसमन्द द्वारा एक लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं अधिकारो का दुरूपयोग कर परिवादी श्री मनीष पामेचा के पुत्र पीयुष पामेचा के दाहिनी आंख के पास सिबेसियस सिस्ट (छोटी गाठ) हटाने के लिए दिनांक 20.07.2026 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता के दौरान 2000 रूपये की मांग करना, परिवादी द्वारा रिश्वत राशि कम करने की कहने पर आरोपी डॉ0 पंकज जैन द्वारा 1800 रूपये लेने हेतु कहना एवं दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता परिवादी से रिश्वत राशि 500 रूपये मांग कर प्राप्त करना तथा मांग के अनुशरण में दिनांक 20.07.2026 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी डॉ0 पंकज जैन द्वारा परिवादी श्री मनीष पामेचा से रिश्वत राशि 1300 रूपये ग्रहण कर अपनी पहनी हुयी जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब में रखना, जहां से रिश्वत राशि दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद होना तथा साथ ही आरोपी द्वारा मांग सत्यापन वार्ता के दोरान परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 500 रूपये भी आरोपी की पहनी हुई जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब से दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष बरामद होना तथा आरोपी डॉ0 पंकज जैन द्वारा परिवादी श्री मनीश पामेचा से रिश्वत राशि 1300 रूपये ग्रहण करने के पश्चात दौराने ट्रेप कार्यवाही हाथ धुलाई के उपरांत आरोपी के दोनों हाथों के धोवण एवं पहनी हुयी जिन्स पेंट की पीछे की दाहिनी साईड की जेब के धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना पाया जाने पर आरोपी डॉ0 पंकज जैन पुत्र श्री भागचंद जैन, उम्र 51 साल, जाति- जैन निवासी ए 13, विकास मार्ग, मानसिंगपुरा पुलिस थाना बजाजनगर, टोंक रोड जयपुर शहर हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ (जनरल सर्जरी) के विरूद्व धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का प्रथम दृष्टया अपराध होना प्रमाणित पाया जाने से आरोपी डॉ0 पंकज जैन कनिष्ठ विशेषज्ञ (जनरल सर्जरी) आर.के. राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक महोदय भ्र0 नि0 ब्यूरो राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय, (हिम्मत चारण) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हिम्मत चारण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजसमन्द ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) में आरोपी डॉ0 पंकज जैन पुत्र श्री भागचंद जैन, उम्र 51 साल, जाति-जैन निवासी ए 13, विकास मार्ग, मानसिंगपुरा पुलिस थाना बजाजनगर, टोंक रोड जयपुर शहर हाल कनिष्ठ विशेषज्ञ (जनरल सर्जरी) आर.के. राजकीय चिकित्सालय राजसमन्द के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री राजेन्द्र सिंह, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 418 पर अंकित है। (गोरधन लाल सौंकरिया) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1243-46 दिनांक 24.07.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राजसमन्द 2- शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर 3 -उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज उदयपुर 4- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजसमन्द । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** RAJENDRA SINGH **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gordhan Lal Sonkaria
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/07/2026 16:46:47

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GORDHAN LAL SONKARIA

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)